यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** के माह 04/2017 से माह 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.05.2018 से 21.05.2018 तक श्री हिमांशु मणि, ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री के.एल.भट्ट, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **भूमि खुदान, वृक्षारोपण कालसी वन प्रभाग के प्राधिकार क्षेत्रों में कार्य**

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	2300.47
2016-17	1541.07
2017-18	1664.25

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	728.11	673.68	198.82	198.81	54.42	0.01
2016-17	820.26	701.20	165.38	165.36	119.05	0.01
2017-18	820.87	820.87	188.86	188.86	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16	2406-01-800-01-05 इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	903600.00	903600.00	0.00
2016-17	2406-01-800-01-05 इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	598000.00	598000.00	0.00
2017-18	2406-01-800-01-05 इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	230400.00	230400.00	0.00
2017-18	2406-02-110-01-03	-	750000.00	750000.00	0.00

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई c श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 अ

प्रस्तर 1: भारत सरकार के दिशानिर्देशोंके विपरीत क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर ` 90.00 लाख का निष्फल व्यय।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

Land for Compensatory Afforestation

(i) Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

(ii) In the event that non-forest land for compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/UT as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.

(iii) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest twice in extent to the area being diverted or to the difference between forest land being diverted and available non-forest land, as the case may be.

(iv) The non-availability of non-forest land for compensatory afforestation would be accepted by the Central Government only on the Certificate from the Chief Secretary to the State/UT Government to that effect.

इसी प्रकार के निर्देश भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) के द्वारा अपने पत्र संख्या II/1058/एन0पी0वी0/एफ0सी/1718 दिनांक 22 फरवरी 2005 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल को जारी किये गये थे एवं राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर नाराजगी जताई गयी थी। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि यदि कोई क्षतिपूरक वृक्षारोपण गैर वन भूमि की उपलब्धता में आरक्षित वन भूमि में किया जाता है तो जब कभी किसी गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा तो उसे आरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया जायेगा। इन समस्त प्रावधानों का मूल उद्देश्य यह था कि वन भूमि के हस्तांतरण से होने वाले आरक्षित वन क्षेत्र की कमी को पूरा किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारीभूमि संरक्षण वन प्रभाग,कालसी देहरादूनकी सम्प्रेक्षा मई2018 में पाया गयाकि वर्ष 2017–18में कैम्पा योजना–क्षतिपूरक वृक्षारोपण में से 110 हेक्टेयर माजरी ,कुल्हाल,धर्मावाला,धौला आदिरेंज में किया गया (लागत ` 29.49 लाख) जो कि आरक्षित वन क्षेत्र की रेंज है एवं इस कारण से कैम्पा क्षतिपूरक वृक्षारोपणहेतुपूर्णतः निषिद्ध है। साथ ही आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण इस रेंज के वृक्षारोपण हेतु चुने हुए क्षेत्रों में पर्याप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन की क्षमता मौजूद है अतः वहां पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करना केवल संसाधानों की बर्बादी एवं निष्फल व्यय है। अतः उपरोक्त रेंजो में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में किया गया अग्रिम मृदा कार्य ₹(60.51 लाख) एव वर्ष 2017-18 में वृक्षारोपण पर किया गया` 29.49 लाख का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के

विपरीत था तथा यह पूर्णतः निष्फल रहा क्योंकि इससे आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी क्षेत्रफल की वृद्धि नहीं हो सकी। यदि यह वृक्षारोपण प्रभाग की अन्य **गैर वन** भूमिमें किया जाता तो यह मानकों के अनुसार होता एवं इससे आरक्षित वन क्षेत्रफल में वद्धि होती।

लेखापरीक्षा द्वारा अवगत कराये जाने पर विभाग ने अवगत कराया की विभाग के पास गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा गैर वृक्ष भूमि में वृक्षारोपण करके इसे आरक्षित वन घोषित करने में जनता का विरोध होता है। अतः वन भूमि में वृक्षारोपण किया गया।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार आरक्षित वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमति तभी देती है जब **राज्य को** मुख्य सचिव यह प्रमाणपत्र **देते** है कि उक्त वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वन भूमि पूरे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। आरक्षित वन क्षेत्र में कुल ` 90.00 लाख की लागत से क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया जिससे कि आरक्षित वन क्षेत्र में शून्य वृद्धि हुई एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

अतः ` 90.00 लाख की लागत से किये गये निष्फल क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर **1: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय रुपए** ₹14.96 **लाख।**

विभाग मेंप्रचलित कार्य पद्धति के अनुसारकिसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चातभूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2015.16 एव वर्ष 2016.17 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु क्रमश 120 हैक्टेयर व 10 हैकटैर का चयन किया गया जिन पर क्रमश ₹ 1396000 व ₹100000 का व्यय किया गया है। इन क्षेत्रों में द्वितीय तथा तृतीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में द्वितीय एव तृतीय वर्ष लगातार लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः प्रभाग द्वारा वर्ष 2015.16 व वर्ष 2016.17 के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 14,96,000 का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने अवगत कराया कि बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं होने के कारण द्वितीय एव तृतीय वर्ष लेंटना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया।

अतः ₹ 14.96 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित
भाग-2 ब

प्रस्तर2- जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 1.78 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रमसंख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमाधन राशि	अवशेषधनराशि
1.	बंशी लाल जोशी	प्रधान सहायक	500	0	500
2.	श्री रमेश चन्द्र राठोर	वन क्षेत्राधिकारी	20000	10000	10000
3.	श्री कुलदीप सिंह पँवार	प्र.व.क्षे.	20000	0	20000
4.	श्री विपिन डिमरी	प्र.व.क्षे.	20000	0	20000
5.	श्री आयामुदीन	प्र.व.क्षे.	20000	0	20000
6.	श्री देवेंद्र सिंह रजवार	प्र.व.क्षे.	20000	0	20000
7.	श्री शूरवीर सिंह शाह	वनदरोगा	6000	2000	4000
8.	श्री उमराव सिंह	वनदरोगा	6000	4000	2000
9.	श्री गंभीर सिंह	वनदरोगा	6000	2000	4000
10.	श्री तीरथ सिंह रावत	वन दरोगा	6000	4000	2000
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	वन दरोगा	6000	2000	4000
12.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद कण्डपाल	वन दरोगा	6000	4000	2000

13.	श्री जगराम सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
14.	श्री चन्द्रमोहन	वन दरोगा	6000	4000	2000
15.	श्री सतेन्द्र सिंह रावत	वन दरोगा	6000	4000	2000
16.	श्री कुशराज सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
17.	श्री ब्रिजेंद्र पाल सिंह	वन दरोगा	6000	1000	5000
18.	श्री वीपेन्द्र कुमार पैनउली	वन दरोगा	6000	4000	2000
19.	श्री पवन सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
20.	श्री राजेश कुमार	वन दरोगा	6000	4000	2000
21.	श्री धीरज कोटनाला	वन दरोगा	6000	4000	2000
22.	श्री मुकेश बहुगुणा	वन दरोगा	6000	2000	4000
23.	श्री अरुण कुमार जोशी	वन दरोगा	4000	0	4000
24.	श्री रोशन लाल बडोनी	वन दरोगा	6000	0	6000
25.	श्री बिशन सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
26.	श्री विजय सिंह	वन आरक्षी	4000	0	4000
27.	श्री जगदीश बमराड़ा	वन आरक्षी	4000	0	4000
28.	श्री गणपत सिंह पाल	वन आरक्षी	4000	0	4000
29.	श्री खीमादास	वन आरक्षी	4000	0	4000
30.	श्री राजू	वन आरक्षी	4000	0	4000
31.	श्री नीरज सिंह	वन आरक्षी	4000	0	4000

32.	श्री राजेंद्र सिंह	वन आरक्षी	4000	500	3500
33.	श्री मदन लाल	वन आरक्षी	4000	500	3500
34.	श्रीमति हिरा देवी	माली	200	0	200
35.	श्री सुरेश कुमार	अर्दली	200	0	200
36.	श्री गेमू	चौकीदार	200	0	200
37.	श्री राजपाल	स्वछ्कार	200	0	200
38.	श्री कलीराम	माली	200	0	200
39.	श्री नैन बहादुर	चौकीदार	200	0	200
योग					₹177700

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जमानत जमा की धन राशि शीघ्र जमा कराने की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-23 वर्ष 2018-19

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
60/2012-13	-	01	
175/2015-16	01	-	
48/2017-18	01	01,02	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
175/2015-16	-	01,02,03	
48/2017-18	02	03,04,05,06,07	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

1. गेट पंजिका वन उपज चौकी कुल्हान तिमली रेंज की दिनांक 31 मार्च 2018 की अभिवहन शुल्क से सम्बन्धित कम्पयूटराइस्ड शीट

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, भूनि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र